परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 2903

माननीय विधायक श्री डॉ. मोहन यादव

 सदन में बैठक दिनांक 05.12.17

भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा, सिवाय ऐसी परिस्थितियों में जब यह विच्छेदन जिला कलेक्टर के आदेशों के अन्तर्गत हुआ हो ।

7.25 नाम परिवर्तन, परिसर के स्थानांतरण, संयोजित भार में परिवर्तन या टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन के उद्देश्य से किये जाने वाले संशोधन उसी परिस्थिति में सम्पादित किये जायेंगे, जब उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों, ऐसे संशोधनों के लिये सहमत हों तथा इन संशोधनों को अनुबन्ध में समाहित करने के लिये अनुपूरक अनुबन्ध का निष्पादन किया जायेगा । अनुपूरक अनुबन्ध के निष्पादन की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

7.26 यदि उपभोक्ता को स्वीकृत तथा संयोजित भार से अधिक विद्युत की खपत करते हुए पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता से विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में दर्शाई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग द्वारा वसूली की जाएगी।

अनुबन्ध का समापन (Termination of Agreement)

7.27 यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबन्ध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत, अनुज्ञप्तिधारी का अनुबन्ध समाप्त हो जाएगा बशर्ते अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हो । संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किये बगैर, उक्त विशिष्ट त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन की विद्युत प्रणाली (नेटवर्क) से हटा लिया जाएगा। अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के अन्तर्गत प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार स्थाई प्रभार अथवा न्यूनतम प्रभार का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा । ऐसे प्रकरणों में संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अनुबन्ध का समापन अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के पश्चात किया जा सकेगा।

7.28 घरेलू या एकल फेज़ गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 15 दिवस का नोटिस दे कर अनुबन्ध का समापन कर सकते हैं। उपरोक्त दर्शाई गई श्रेणियों के अलावा अन्य उपभोक्ता अनुबन्ध की दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने का नोटिस दे कर अनुबन्ध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अन्तिम बिल को बनाने में सुविधा हेतु आपसी सहमति से निश्चित की गई तिथि को विशेष मापयन्त्र (मीटर) वाचन लेने की व्यवस्था करेगा। अनुबन्ध का समापन बिलिंग माह की अन्तिम तिथि को किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तद्नुसार अन्तिम देयक भुगतान हेतु तैयार करेगा।

7.29 अनुबन्ध के समापन के बाद, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर से विद्युत प्रदाय हेतु लगाये गये उपकरण तथा सेवा तन्तुपथ (service line) हटाने के लिये अधिकृत होगा। स्थाई विच्छेदन के बाद यदि उपभोक्ता संयोजन को पुनः चालू करने का इच्छुक हो, तो इसे नवीन संयोजन के आवेदन की ही भांति माना

4.10 उपभोक्ता को अपने विद्युत प्रदाय आवेदन–पत्र के साथ वांछित अभिलेख, संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन के उद्देश्य से आवेदक से मूल अभिलेखों की भी मांग की जा सकती है। उपभोक्ता को अपने आवेदन में यह भी सूचित करना होगा कि सेवा तन्तुपथ (service line) और विस्तार कार्य यदि कोई हो, का क्रियान्वयन उपभोक्ता द्वारा स्वयं कराया जायेगा अथवा इसे अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

4.11 ऐसे प्रकरणों में जहां घरेलू और एकल–फेज गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा नवीन संयोजन की स्थापना के प्रयोजन हेतु आवेदक द्वारा परिसर के विधिसम्मत अधिभोगी होने का प्रमाण दिया जाना संभव न हो तो संबंधित विद्युत वितरण वृत्त के प्रभारी द्वारा ऐसे प्रमाण की अर्हता को, इसके कारणों को लिखित में दर्ज कर, समाप्त किया जा सकता है । तथापि, ऐसे उपभोक्ताओं को ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा उनकी नब्बे (90) दिन की अनुमानित औसत खपत के आधार पर प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) की निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इस प्रकार के परिसरों में प्रदाय किये गये विद्युत संयोजनों (या इससे संबंधित अभिलेखों) को परिसर पर किसी भी प्रकार उसके कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी प्रमाण के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। भविष्य में भी, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा परिसर का अधिभोग अवैध रूप से किया जा रहा है तो विद्युत संयोजन को तुरन्त स्थाई तौर पर विच्छेदित किया जा सकेगा।

4.12 यदि उपभोक्ता किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो उसके नाम में या उस फर्म या कंपनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक अथवा परिसर के अधिवासी या स्वामी के रूप में संबद्ध रहा हो, पर विद्युत प्रदाय की बकाया या परिसर संबंधी अन्य कोई बकाया राशि है, जिस के लिये एक नवीन संयोजन (कनेक्शन) हेतु आवेदन किया गया हो तथा ऐसी बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय हो, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसके द्वारा बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता । तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन संयोजन का अनुमोदन निम्न प्रकरणों में अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा :

(i) यदि राज्य शासन द्वारा किसी भी कारण से पट्टे (lease deed) को निरस्त किया जा चुका हो तथा इसे किसी नवीन पक्षकार/उपभोक्ता को आवंटित कर दिया गया हो, तो ऐसी दशा में नवीन पक्षकार/उपभोक्ता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(ii) यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसका विक्रय आयकर विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग अथवा ऐसे किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा उसकी बकाया राशि की वसूली बाबत् किया गया हो तो ऐसी दशा में नवीन क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(iii) यदि सम्पत्ति की कुर्की अथवा उसकी बिक्री राज्य अधिनियम/केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनकी बकाया राशि की वसूली बाबत् की गई हो तो ऐसी दशा में क्रेता को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(iv)यदि किसी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण पर रिक्त किये गये शासकीय आवास–गृह/फ्लेट के विद्युत प्रभारों की राशि बकाया छोड़ दी जाती है तो ऐसी दशा में नवीन अधिवासी को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा ।

(v) यदि न्यायालय द्वारा परिसर के संबंध में बकाया राशि की वसूली न किये जाने बाबत् कोई विशिष्ट आदेश जारी किया गया हो।

4.13 विद्युत प्रदाय के निबन्धनों तथा शर्तों के प्रयोजन से, परिसर में कोई भी भूमि, भवन अथवा संरचना शामिल होगी जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार विद्युत प्रदाय हेतु सहमति व्यक्त की गई हो। तथापि, किसी भी परिसर को पृथक परिसर माना जाएगा तथा प्रत्येक परिसर को पृथक विद्युत प्रदाय बिन्दु प्रदान किया जाएगा, यदि

(अ) वे सुस्पष्ट स्थापना तथा अमला धारित करते हों; अथवा

(ब) वे भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व या पट्टे पर धारित किये जा रहे हों; अथवा

(स) जो ऐसी किसी विधि के अन्तर्गत अलग–अलग अनुज्ञप्तियों या पंजीकरणों के अंतर्गत आते हों, जहां यह प्रक्रिया लागू हो अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से सुसंबद्ध अभिलेख धारित करते हों, जो उन्हें पृथक से सुस्पष्ट परिसर (घरेलू श्रेणी परिवारों हेतु) के रूप में चिन्हांकित करते हों।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय (Supply to different categories of Consumers)

किसी भी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अर्हता के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष एक आवेदन निर्दिष्ट प्ररूप में पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

(ए) निम्नदाब पर विद्युत प्रदाय (Supply at LT)

4.14 अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन करेगा। आवेदक को तत्काल एक लिखित अभिस्वीकृति प्रदान की जाएगी। आवेदन अपूर्ण पाए जाने की स्थिति में आवेदन में पाई गई कमियों के बारे में आवेदक को लिखित रूप में तीन कार्यदिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा तथा आवेदक से पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होते ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी लिखित पावती तत्काल आवेदक को प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात, दो दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित् दिनांक की सूचना दी जाएगी जो शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी पांच दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी दस दिवस के भीतर होगी ।

4.15 निरीक्षण के दौरान, आवेदक या उसका प्रतिनिधि अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार (licensed contactor)के साथ स्थल पर उपस्थित रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी :

(i) विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने का बिन्दु तथा मापयन्त्र (मीटर) एवं कट–आऊट/एमसीबी लगाने का स्थान निर्धारित करेगा।

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल